अति– आवश्यक

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
कॉर्पोरेट पहचान सं.(CIN): L40109RJ2000SGC016485
पंजीकृत कार्यालयः "विद्युत भवन",जनपथ, जयपुर 302005

क्रमांक : राराविप्रनि / सचिव (प्र.) / प. /प्रे. 80 जयपुर, दिनांक 5/5/2021

मुख्य लेखा नियंत्रक /मुख्य कार्मिक अधिकारी/सम. मुख्य अभियंता (टी एण्ड सी/ सिविल/पी. पी.डी/प्रोक्योरमेन्ट/एल.डी./कॉन्ट्रैक्ट/आई.टी./कम्युनिकेशन/एम.पी.टी.एण्ड एस)
राराविप्रनिलि,
जयपुर।

विषय – कोविड – 19 के प्रभावी टीकाकरण हेतु

माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंन्ध निदेशक महोदय के निर्देशानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण टीमों द्वारा विद्युत भवन जयपुर में टीकाकरण कैम्प दिनांक 6.5.2021 से आरम्भ होकर आगे तक लगाया जाना प्रस्तावित है। इस टीकाकरण अभियांन में 18 से 44 एवं 45 से अधिक आयु वर्ग के ऐसे समस्त कर्मचारियों / अधिकारियों आदि सभी का टीकाकरण किया जाना प्रस्तावित है जिनका पदस्थापन जयपुर मुख्यालय पर है। अतएव आप सभी को निम्नाकिंत फार्मेट में अपने – अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों (तकनीकी एवं गैर तकनीकी तथा मिनिस्टीरियल स्टॉफ सहित) एक्सेल शीट में (एक विभागाध्यक्ष से केवल एक शीट में उनके अधीन समस्त कार्यालयों सहित सूचना) अपेक्षित है। सूचना के संकलन के उपरांत प्रथम फेस दिनांक 6.5.2021 समय 10:00 से सायं 4:00 बजे तक चयनित व्यक्तियों का टीकाकरण किया जायेगा। यह प्रक्रिया अनवरत तब तक रहेगी जब तक प्रत्येक अधिकारी / कार्मिक सहित 100 प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित हो सके।

उक्त व्यवस्था में प्रथम फेस में जयपुर (विद्युत भवन) में कार्यरत अधिकारियों / कार्मिकों को शामिल किया जा रहा है और जिला मुख्यालयों / सम. मुख्य अभियंता (अजमेर व जोधपुर) के लिये पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे है। प्रभावी टीकाकरण के लिये सही एवं सुसंगत सूचना संलग्न फॉर्मेट में केवल एक्सेल शीट में acp.admin@rvpn.co.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

नोटः स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार यह व्यवस्था केवल अधिकारियों/ कर्मचारियों तक ही सीमित है एवं उनके पारिवारिक सदस्यों के लिये टीकाकरण किसी भी दशा में नहीं किया जा सकेगा। टीकाकरण हेतु प्रतिदिन चयनित व्यक्तियों की सूची ईमेल द्वारा प्रेषित की जायेगी और नियत समय पर कार्मिक अपने आधार कार्ड, एम्प्लाई आई.डी. कार्ड, मोबाइल नम्बर सहित उपस्थित होकर टीकारण करवा सकेंगे।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,
5/5
(एच.एम.ढाका)
सचिव (प्रशासन), राराविप्रनिलि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव – प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा), राजस्थान सरकार, जयपुर / सी.एम.डी., राराविप्रनिलि, जयपुर।

अति– आवश्यक

2. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राज. सरकार, जयपुर।
3. परियोजना निदेशक – इम्युनाइजेशन, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज. सरकार, जयुपर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. सचिव / सी.पी.ओ., अ.वी.वी.एन.एल. / जे.वी.वी.एन.एल. / आर.वी.यू.एन. / ऊर्जा विकास निगम /
6. निजी सचिव – निदेशक, वित्त / ऑपरेशन /टेक्निकल।
7. सम्भागीय मुख्य अभियंता (प्र. एवं नि.) राराविप्रनिलि, ...
8. समस्त अधीक्षण अभियंता (   )
9. रिकार्ड पत्रावली

Rajsharma 05.05.21

संयुक्त सचिव (जी.ए.डी.), राराविप्रनिलि

अति– आवश्यक

FORMAT

Name of Employee	Company – RVPN/RVUN/Discom/Urja Vikas Nigam Etc.	Employee ID	Aadhar No	Mobile No.	Age Group (18-44) / (44 & Above)	Whether already taken 1st Dose	Place of Posting